

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री ईगल इन्टरप्राइजेज, 30, निराला मार्केट, आई0 टी0 क्रासिंग, लखनऊ ।
प्रार्थना पत्र संख्या व 356 / 08, 29.08.2008
दिनांक
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री ईगल इन्टरप्राइजेज, 30, निराला मार्केट, आई0 टी0 क्रासिंग, लखनऊ द्वारा दिनांक 29.08.2008 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्न प्रश्न पूछे गये हैं :-

(1) उपरोक्त सन्दर्भित प्रकार के कायदेश (Work order) से स्रोत पर कर के कटौती की दरें क्या होंगी?

(2) राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1283 / ग्यारह 9 (24) / 2006 दिनांक 13.07.2006 वर्तमान में भी क्या लागू है ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 18.12.2013 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-78, दिनांक 20.04.2009 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि कर की कटौती के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-34 में व्यवस्था है जिसमें धारा-34 (13) के प्राविधान के अनुसार 4% की दर से कटौती की जाती है । बिन्दु संख्या-2 के सन्दर्भ में कहा गया कि वर्तमान में सन्दर्भित विज्ञप्ति लागू नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि स्रोत पर कर की कटौती की दर निर्धारित करने का प्राविधान उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में नहीं है । यह प्राविधान धारा-34 में है तथा इसके लिए कर निर्धारण अधिकारी सक्षम हैं । सन्दर्भित विज्ञप्ति संख्या-1283 / ग्यारह 9 (24) / 2006 दिनांक 13.07.2006 व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी थी जो दिनांक 31.12.2007 को समाप्त कर दी गयी है । अतः करमुक्ति देय नहीं है ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-द्वितीय, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्नों के सन्दर्भ में स्थिति निम्न भाँति पायी गयी :-

(1) स्रोत पर कर की कटौती की दर निर्धारित करने के प्राविधान उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 में नहीं है ।

सर्वश्री ईगल इन्टरप्राइजेज / प्रा0 पत्र सं0-356 / 08 / धारा-59 / पृष्ठ-2

(2) उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के सन्दर्भ में कोई विज्ञप्ति लागू नहीं है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 20, दिसम्बर, 2013

ह0/ 20-12-2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।